न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामा0 अपील सं0 07/2010

1. मूलचन्द पुत्र नन्दलाल
2. हरसहाय पुत्र बिहारी
3. रामपति पनि गोपीराम

जाति मीना निवासी ग्राम श्यालावास तहसील दौसा जिला दौसा

..अपीलांट्स

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्रं बिहारीलाल
2. पून्या पुत्र बिहारीलाल
3. रामकुवार पुत्र नन्दलाल

जाति मीणा निवासी ग्राम श्यालावास तहसील दौसा जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा दिनांक 15.1.2010 बनामान्तरण सं0 1044 ग्राम श्यालावास तह० दौसा अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित—1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2.श्री वरूण नागर, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 03

निर्णय दिनांक: 30.07.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा द्वारा दिनांक 15.01.2010 को ग्राम श्यालावाय का नामान्तरण सं0 1044 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि अपीलाट्स को प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 17—3—10 को रेस्पों0 सं0 एक व दो द्वारा अपीलांट्स को चेतावनी दिये जाने पर हुए कि वे हिस्सा 2/3 213 की फसल काटकर ले जावेगे हमारे नाम रामकुवांर प्रत्यर्थी स० तीन द्वारा खातेदारी करवादी है। अपीलांट्स ने दिनांक 18—3—10 को तहसील कार्यालय मे जाकर तलाश करवाया जिस पर प्रश्नगत नामान्तरण आदेश का तलाश करवाकर नकल हेतु आवेदन किया जिसपर दिनांक 31—3—10 को नकल नामान्तरकरण प्राप्त हुए जिसके बाद विधिक जानकारी कर अपील योम जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमण कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों0.ने बहस में कथन किया कि उक्त नामान्तरण आदेश की अपीलांट को पूर्व में ही जानकारी रही है। अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। उभयपक्ष अधिवक्ता की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर [illegible] गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट [illegible] मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल नामान्तरण अपील पर बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 15:1:10 बहक प्रत्यर्थीगण विधि, प्रक्रिया नियम तथ्य एवम न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग किये बिना पारित किये जाने से खण्डनीय है। योग्य अधिनस्थ अधिकारी ने नामान्तरण विचाराधीन अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जब कि नामान्तरण आदेश अपीलाट्स एवम प्रत्यर्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवम कब्जे काश्त की भूमि के संबंध में पारित किया गया है जिसमें प्रत्येक सह खातेदार के हित समाहित है अतः बिना सूचना व सुनवाई प्रश्नगत नामान्तरण आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विरुद्ध पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है। आराजी अंकित नामान्तरण पर पक्षकारगण संयुक्त रूप से काबिज है प्रत्यर्थी सं0 एक निसंतान है उसकी पत्नि की भी मृत्यु हो गई है। आराजीयात मे हिस्सा 1/2 पर अपीलांट एवम हिस्सा 1/2 पर अपीलांट सं० दो व तीन एवम प्रत्यर्थीगण सं0 तीन को बहला फुसलाकर राजस्व अभिलेख मे अंकित इसके हिस्सा 1/3 आराजी अंकित नामान्तरण भूमि का हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) दिनांक 24 12:09 को अपने पक्ष मे करवाकर उपपंजीयक कायलिय दौसा मे पंजीकृत करवाकर हक त्याग पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरण आदेश तस्दीक करवाया है जो विधिक रूप से सही नही है अतःखंडनीय है। हक त्याग पत्र से आधिपत्य का अस्थाई रूप से परिवर्तन हो सकता है। हक त्याग पत्र के आधार पर खातेदारी परिवर्तन किया जाना सर्वथा अवैध एवं अनियमित है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक प्रकरणो मे यह सिद्धान्त सुनिश्चित फरमाया है अतः हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर पारित प्रश्नगत नामान्तरण आदेश खण्डनीय है। योग्य अधिनस्थ अधिकारी के नामातरण के पृष्ठ पर अपना सुपठित नाम व पदनाम भी अंकित नही किया है। नामान्तरण राजस्थान ने ग्राम पंचायत के आम चुनाव सन 2010 के लिए आचार संहिता अवधि में प्रत्यर्थीगण स० एक व दो ने अधिनस्थ अधिकारी ने सामंजस्य बैठाकर तस्दीक करवाया है जो खण्डनीय है। नामान्तरकरण तस्दीक करने सम्बन्धी नियम 121 (4) रा0भू० रा० अधि० अन्तर्गत बने नियम एवम प्रक्रिया की पालना किये बिना प्रश्नगत आदेश प्रत्यर्थीगण स० एक व दो एवम तस्दीककर्ता अधिकारी के बीच आपसी षडयंत्र का परिणाम है नामान्तरण आदेश अवैध एवम अनधिकृत है अतः खण्डनीय है। अपीलाट्स अधिनस्थ अधिकारी के समक्ष प्रश्न नामान्तरण आदेश कार्यवाही में पक्षकार नही थे किन्तु आराजी अंकित नामान्तरण मे अपीलांट्स के हित निहित है पक्षकारान प्रश्नगत नामान्तकरण आदेश से प्रभावित पक्षकार है अतः योम जानकारी के बाद अपीलांट्स द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण आदेश को चुनोती देने के लिए अपीलांट्स अधिकृत है। अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। एतदर्थ आवेदन अ० धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत नामान्तरण आदेश दिनांक 15–1–10 विचाराधीन अपील निरस्त फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे (18) 2008 की प्रति की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पों0 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट उक्त अपील को प्रस्तुत करने के लिए एग्रीव्ड नहीं है। अपीलांट की ओर से हक त्याग के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है लेकिन अपीलांट का रामकुंवार [illegible] संबंध नहीं वास्ता नहीं है। राज0 स्टांप एक्ट के अंतर्गत कोई भी सह खातेदा[illegible] में हक त्याग कर सकता है जो कि एनलार्जमेन्ट ऑफ राईट्स कह[illegible]ने अपना खातेदारी अधिकार रेस्पों0 सं0 1 के हक में त्याग [illegible] चुनौती देने का अधिकार अपीलांट को नहीं है। वैसे भी अपीलांट ने दीवानी वाद कर र[illegible]है, यदि उनके कोई अधिकार होंगे तो भी वह राजस्व वाद में तय हो सकते है एवं अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अपीलांट को नहीं है। अपीलांट ने रेस्पों0 को हैरान व परेशान करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1994 पेज 23, आरआरटी 2021(2), आरआरटी 2022(1) की प्रति प्रस्तुत की गई।

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार दौसा के नामान्तरण सं0 1044 ग्राम श्याालावास तहसील दौसा आदेश दिनांक 15.1.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि रिलीज डीड दिनांक 24.12.2009 के आधार पर खोला गया है। प्रार्थी का कथन है कि हक त्यागपत्र से अस्थाई रूप से परिवर्तन हो सकता है। किन्तु त्याग पत्र के आधार पर खातेदारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उनके द्वारा आरबीजे 15(2)2008 पृष्ट 447 पर न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण अवैध है। जहॉ तक प्रश्न रिलीज डीड के आधार पर खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण का है, तो इस संबंध में राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 से 46 तक में इसका कोई वर्णन नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय जैसेकि रामगापोल बनाम राज0 सरकार में भी यह उल्लेखित किया है कि खातेदार अपने अधिकार **relinquishment Deed** के तहत किसी दूसरे खतेदार को धारा 45 की प्रकिया अपनाये बिना हस्तान्तरित नहीं कर सकता। किन्तु न्यायिक व्यख्यानों से यह भी स्पष्ट है कि सह खातेदारों के बीच अपने अंश का त्याग किया जा सकता है जो कि ट्रांस्फर की श्रेणी में न आकर **internal adjustment** माना जायेगा। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामगोपाल बनाम राजस्व मंडल में यह कथन किया कि कोई सह खातेदार अपने अंश का त्याग दूसरे सह खातेदार के लिए करता है तो वह धारा 43 अथवा 45 राज0 कायतकारी अधिनियम के तहत टांस्फर की श्रेणी में नहीं आयेगा। इसी प्रकार राजस्व मंडल राज0 (1978 आरआरडी 230 रामलाल बनाम भैरूलाल) में यह उल्लेखित किया है कि सह खातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार के पक्ष में अंशदान ट्रांस्फर की श्रेणी में नहीं आता है केवल सरेण्डर ऑफ इन्टरेस्ट माना जायेगा। उक्त नामान्तरण में हक त्याग सह खातेदार के पक्ष में किया गया है जो कि विधिसम्मत है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपील तहसीलदार दौसा के द्वारा पारित नामान्तरण सं0 1044 ग्राम श्याालावास तहसील दौसा आदेश दिनांक 15.1.2010 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:16 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official